संस्कृति मंत्रालय

मांग संख्या 17

संस्कृति मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2476.70	53.80	2530.50	2764.28	79.04	2843.32	2687.96	112.04	2800.00	2953.21	89.14	3042.35
वसूलियां	*-10.23*	...	-10.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2466.47**	**53.80**	**2520.27**	**2764.28**	**79.04**	**2843.32**	**2687.96**	**112.04**	**2800.00**	**2953.21**	**89.14**	**3042.35**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय	36.13	...	36.13	44.20	...	44.20	39.60	...	39.60	45.95	...	45.95
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)	914.36	25.02	939.38	949.56	25.00	974.56	948.06	20.00	968.06	1011.41	25.00	1036.41
3. पुस्तकालय और अभिलेखागार	85.13	6.17	91.30	98.14	11.04	109.18	92.11	11.04	103.15	90.88	10.44	101.32
4. संग्रहालय	64.75	3.53	68.28	70.60	10.00	80.60	81.91	15.00	96.91	82.02	10.70	92.72
5. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	30.44	9.90	40.34	32.70	11.00	43.70	32.66	11.00	43.66	32.21	11.00	43.21
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**1130.81**	**44.62**	**1175.43**	**1195.20**	**57.04**	**1252.24**	**1194.34**	**57.04**	**1251.38**	**1262.47**	**57.14**	**1319.61**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
6. शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीमें	143.82	...	143.82	100.00	...	100.00	250.00	...	250.00	110.00	...	110.00
7. कला संस्कृति विकास योजना	166.92	9.18	176.10	288.00	22.00	310.00	200.84	37.00	237.84	227.74	2.00	229.74
8. संग्रहालय का विकास	45.87	...	45.87	105.98	...	105.98	76.89	18.00	94.89	256.79	30.00	286.79
9. पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास	28.84	...	28.84	99.81	...	99.81	35.93	...	35.93	118.51	...	118.51
10. वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	31.00	...	31.00	45.21	...	45.21	27.20	...	27.20	21.19	...	21.19
11. पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन	4.77	...	4.77	15.00	...	15.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**421.22**	**9.18**	**430.40**	**654.00**	**22.00**	**676.00**	**602.86**	**55.00**	**657.86**	**746.23**	**32.00**	**778.23**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
12. अकादमियों को सहायता	429.54	...	429.54	379.92	...	379.92	340.84	...	340.84	382.84	...	382.84
13. संग्रहालयों को सहायता	276.85	...	276.85	289.81	...	289.81	295.66	...	295.66	313.83	...	313.83
14. पुस्तकालयों को सहायता	120.66	...	120.66	124.85	...	124.85	122.85	...	122.85	121.83	...	121.83

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक	83.63	...	83.63	106.46	...	106.46	117.98	...	117.98	111.87	...	111.87
जोड़-स्वायत्त निकाय	**910.68**	**...**	**910.68**	**901.04**	**...**	**901.04**	**877.33**	**...**	**877.33**	**930.37**	**...**	**930.37**
अन्य												
16. अनुदानग्राही निकाय	13.99	...	13.99	14.04	...	14.04	13.43	...	13.43	14.14	...	14.14
17. वास्तविक वसूलियां	-10.23	...	-10.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**3.76**	**...**	**3.76**	**14.04**	**...**	**14.04**	**13.43**	**...**	**13.43**	**14.14**	**...**	**14.14**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**914.44**	**...**	**914.44**	**915.08**	**...**	**915.08**	**890.76**	**...**	**890.76**	**944.51**	**...**	**944.51**
कुल जोड़	***2466.47***	***53.80***	***2520.27***	***2764.28***	***79.04***	***2843.32***	***2687.96***	***112.04***	***2800.00***	***2953.21***	***89.14***	***3042.35***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	2430.34	...	2430.34	2544.58	...	2544.58	2479.64	...	2479.64	2731.76	...	2731.76
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	36.13	...	36.13	44.20	...	44.20	39.60	...	39.60	45.95	...	45.95
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	...	53.80	53.80	...	79.04	79.04	...	112.04	112.04	...	89.14	89.14
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**2466.47**	**53.80**	**2520.27**	**2588.78**	**79.04**	**2667.82**	**2519.24**	**112.04**	**2631.28**	**2777.71**	**89.14**	**2866.85**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	175.50	...	175.50	168.72	...	168.72	175.50	...	175.50
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**175.50**	**...**	**175.50**	**168.72**	**...**	**168.72**	**175.50**	**...**	**175.50**
कुल जोड़	**2466.47**	**53.80**	**2520.27**	**2764.28**	**79.04**	**2843.32**	**2687.96**	**112.04**	**2800.00**	**2953.21**	**89.14**	**3042.35**

1. **केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय और केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार के वेतन एवं संबद्ध मदों पर होने वाले व्यय सम्मिलित हैं।

2. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई):** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना पुरातत्व अवशेषों के सर्वेक्षण के मूल उद्देश्य से वर्ष 1861 में की गई थी। एएसआई संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके मुख्य कार्यों में विश्व विरासत स्मारकों तथा पुरावशेषों सहित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास करना, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों के आस-पास बगीचों का रख-रखाव तथा नए बगीचों का विकास करना, प्राचीन स्थलों का अन्वेषण और उत्खनन करना, शिलालेखों और भारतीय वास्तुकला के विभिन्न चरणों का विशेष अध्ययन करना, पुरातत्व स्थल संग्रहालयों का अनुरक्षण करना, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम का प्रचालन करना तथा पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके केन्द्रीय रूप से संरक्षित 3691 (22 विश्व विरासत, 10 ऐतिहासिक और 100 आदर्श स्मारकों) केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों (विश्व विरासत स्मारकों सहित) हैं जिसमें प्रागैतिहासिक पाषाण काल के स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर तथा किले शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन भी शुरू किया गया है।

3. **पुस्तकालय और अभिलेखागार:** इसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय के व्यय हेतु प्रावधान है।

4. **संग्रहालय:** इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुंसधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान है।

5. **भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण:** इसमें वर्ष 1945 में स्थापित भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के व्यय के लिए प्रावधान है। यह भारत की जनसंख्या के संबंध में जैव-सांस्कृतिक अन्वेषण/अनुसंधान संचालित करता है तथा भारतीय जनता के बारे में वैज्ञानिक महत्व के दस्तावेजों का संग्रहण और परिरक्षण करता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अपने मानव विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से देश की जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संबंध में योगदान देता है।

6. **शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीमें:** इसमें वर्ष 2019-20 के दौरान शताब्दियों एवं वर्षगांठ से संबंधित समारोहों तथा विगत समारोहों के शेष कार्यकलापों के लिए प्रावधान है। इसमें महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के लिए प्रावधान सम्मिलित है।

7. **कला संस्कृति विकास योजना:** इन समावेशी स्कीमों में मिशन तथा स्कीमें अर्थात् दांडी संबंधी परियोजनाएं सहित गांधी विरासत स्थल मिशन, कला एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम, कला और संस्कृति के संवर्द्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति, सांस्कृवतिक अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम, सांस्कृतिक मानचित्रण, कलाकारों को पेंशन एवं चिकित्सा सहायता स्कीम, अमूर्त सांस्कृसतिक विरासत संबंधी स्कीम, देशी उत्सव एवं मेले, सांस्कृतिक सौहार्द के लिए टैगोर पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, सेवा भोज योजना और जलियांवाला बाग स्मारक का विकास शामिल हैं।

8. **संग्रहालय का विकास:** यह प्रावधान संग्रहालय अनुदान स्कीम, विज्ञान की संस्कृति के संवर्द्धन हेतु स्कीम, भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित संग्रहालय और आभासी संग्रहालयों, वाडनगर में राष्ट्रीय प्रायोगिक स्थल संग्रहालय और संग्रहालयों में सॉफ्टवेयर के संग्रह प्रबंधन से संबंधित कार्यकलापों के व्यय के लिए है।

9. **पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन- जनता को सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यकलापों के व्यय हेतु है।

10. **वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन हेतु स्कीम के लिए अनुदान,भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए यात्रा अनुदान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल, अंतरराष्ट्रीय कला परिषद एवं संस्कृति एजेंसी परिसंघ (आईएफएसीसीए), अंतरराष्ट्रीय संरक्षण केन्द्र, रोम हेतु सहयोग, यूनेस्को को सहयोग तथा विश्व विरासत निधि को सहयोग से संबंधित कार्यकलापों के व्यय हेतु है।

11. **पांडुलिपियों के परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन:** यह प्रावधान देश में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान करने, पहचान की गई पांडुलिपियों के प्रलेखन तथा पांडुलिपि विरासत को देश भर में सुगम्य बनाने के उद्देश्य से इस मिशन से संबंधित कार्यकलापों के व्यय हेतु है।

12. **अकादमियों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान और सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

13. **संग्रहालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, सालारजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

14. **पुस्तकालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी (कोलकाता), खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और रामपुर रजा पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

15. **बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, नव नालंदा महाविहार, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान और केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

16. **अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वृंदावन अनुसंधान संस्थान, तिब्बत हाउस, बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन तवांग बौद्ध मठ केन्द्र, नामग्याल तिब्बती शास्त्र संस्थान, जीआरएल बौद्ध मठ विद्यालय बोमडिला, तिब्बती कार्य पुस्तकालय एवं अभिलेखागार, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, एशियाटिक सोसाइटी (मुंबई), तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय और कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित कार्यकलापों के लिए व्यय का प्रावधान शामिल है।